(38) (60)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड अनुलग्नक–04

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

25 195

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–193–औस / 2014–11(4)एफ0 / 86(वा–3) दिनांक 22 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या–1241–औस0–17 / पाकालि / 2001–11(4) एफ / 86(टी0सी0) दिनांक20.04.2001 के प्रस्तर–2 में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में भर्ती होकर उचार / चिकित्सा कराये जाने पर मा. 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान है।

एतदद्वारा उक्त प्राविधान में आंशिक संशोधन करते हुए अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीटयूट (पी0जी0आई0) स्तर के केन्द्र अथवा अन्य राज्य सरकारी के चिकित्सा संस्थानों मे भर्ती होकर उपचार / चिकित्सा कराये जाने पर सम्बन्धित संस्थन द्वारा सत्यापित चिकित्सा व औषधि बीजकों की शत प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य किय जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश संख्या–1241–औ0सं0–17 / पाकालि / 2001–11(4) एफ / 86(टी0सी0) दिनांक 20.04.2001 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–193– औस / 2014 तद्‌दिनाँकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मध्यांचल लखनऊ / पूर्वान्चल वाराणसी / पश्चिमाचल मरठ / दक्षिणांचल आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
5– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जाँच समिति–प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ।
7– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
8– समस्त उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) / वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9– समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त) उप मुख्य एवम वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवम लेखा),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10– समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407 शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरांकित आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु
12– सचिव विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
13– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को मद संख्या–103(19) / 13 के सन्दर्भ में प्रेषित।
14– गार्ड फाइल।

Navneet Mathur
(नवनीत माथुर)
कार्मिक अधिकारी

(108) 122